| |
|---|
| दिनांक 21.03.2025 |
| प्रेस विज्ञप्ति 34 / 2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षी ना0पु0 में सीधी भर्ती–2023 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की तैयारी एवं आगामी त्यौहारों के सम्बन्ध में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी समीक्षा गोष्ठी

**श्री प्रशान्त कुमार** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 21–03–2025 को समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त/परिक्षेत्रिय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी उ0प्र0 के साथ विश्व के सबसे बड़े पुलिस संगठन में 60,244 प्रशिक्षु आरक्षी उ0प्र0 पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे है जिनके प्रशिक्षण की तैयारियों के सम्बन्ध में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा गोष्ठी की गयी।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा गोष्ठी के दौरान मुख्यतः निम्नाकिंत बिन्दुओं पर दिशा–निर्देश दिये गये।

- मुख्यालय स्तर से रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण हेतु निर्गत कार्ययोजना का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
- सम्बन्धित जनपदो में जहाँ–जहाँ प्रशिक्षण होना है सभी अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षुओ के प्रशिक्षण के दौरान सक्रिय भागीदारी (Active in participation) निभाई जाये।
- प्रशिक्षण के लिए जनपद/कमिश्नरेट को आवटिंत बजट से समस्त आधारभूत सुविधाओं एवं संसाधनो (Infrastructure) की व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित कर ली जाये। प्रशिक्षण में किसी भी स्तर पर कोई शिथिलता न बरती जाये। आवश्यक आधुनिक तकनीकी उपकरणों की व्यवस्था पूर्व से कर ली जाय।
- प्रत्येक प्रशिक्षण सेंटर में मानक के अनुरूप प्रशिक्षक उपलब्ध कराये जाये।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को तीन नये कानूनों की गहनता से जानकारी उपलब्ध करायी जाय।
- प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीक से दक्ष बनाने हेतु साइबर क्राइम इत्यादि के बारे में गहनता से जानकारी देते हुये उन्हें प्रशिक्षित किया जाय।
- भौतिक साक्ष्य संकलन हेतु फॉरेन्सिक विषयों की क्रमबद्ध तरीके से गहन जानकारी दी जाय।

- महिला प्रशिक्षुओं की सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाय।
- प्रशिक्षण के दौरान मूलभूत सुविधाओं सहित प्रशिक्षुओ के रहने इत्यादि की समुचित व्यवस्था पूर्व से कर ली जाय।
- अभ्यर्थियों को व्यवसायिक रूप से दक्ष बनाने एवं आधुनिक तकनीकी ज्ञान से युक्त करने हेतु पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर कक्ष इत्यादि की व्यवस्था कर ली जाय।
- प्रशिक्षुओं को आम जनता से अच्छे व्यवहार हेतु साफ्ट स्किल और गुड विहैवियर का प्रशिक्षण दिया जाय।
- प्रशिक्षण के दौरान उपचार हेतु चिकित्सालय की समुचित व्यवस्था कर ली जाये।

**साथ ही आगामी त्यौहारों यथा अलविदा की नमाज, ईंद, रामनवमी आदि के दृष्टिगत निम्नकिंत निर्देश दिये गयेः–**

- छोटे से छोटे विवादो को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान लिया जाये ताकि कोई छोटा से छोटा विवाद बड़े विवाद में परिवर्तित न हो सके।
- थानो के त्यौहार रजिस्टर का गहनता से अवलोकन कर लिया जाये तथा समस्त ट्रैबल स्पॉट/हॉट स्पॉट की सूची बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर भ्रमण कर विगत वर्षो में प्रकाश में आये विवादो/घटनाओं की समीक्षा करते हुए सभी स्थानो पर प्रभावी पुलिस प्रबन्ध किये जाये।
- समस्त कार्यक्रम के आयोजको पीस कमेटी एवं धर्मगुरूओं के साथ अविलम्ब गोष्ठी कर ली जाये, इस गोष्ठी में मजिस्ट्रेट एवं अन्य विभागो के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
- कार्यक्रम/जुलूसो के मार्गो पर वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से भ्रमण व समुचित पुलिस/पीएसी बल व उपलब्ध सीएपीएफ के साथ फ्लैग मार्च कराया जाये।
- जनपद में उपलब्ध पुलिस बल की समीक्षा कर ली जाये तथा दंगा निरोधक उपकरणो की गुणवत्ता उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये तथा उन्हे महत्वपूर्ण स्थानो पर स्ट्राइकिंग रिजर्व के साथ व्यवस्थापित किया जाये।
- समस्त जनपदो में पोस्टर पार्टी का गठन कर प्रातः काल समस्त धार्मिक स्थलों की नियमित चेकिंग सुनिश्चित की जाये।
- भीड़ भाड़ वाले स्थानो एवं क्षेत्र में पुलिस विजविलिटी बनाये रखने हेतु नियमित रूप से **पैदल गश्त (Foot Petroling)** की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

- अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर गतिविधियों की निगरानी की जाये तथा इण्डो नेपाल बार्डर पर एसएसबी से समन्वय बनाकर संघन चेकिंग करायी जाये तथा बार्डर जनपदो में खास सतर्क दृष्टि रखी जाये।
- सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो आदि पर सतर्क दृष्टि रखी जाये। असत्य भ्रमक सूचना प्रसारित होने पर तत्काल उसका प्रभावी खण्डन किया जाये। सोशल मीडिया सेल को इस सम्बन्ध में सतर्क करते हुए समुचित ब्रीफिंग कर ली जाये।

| |
|---|
| दिनांक 21.03.2025 |
| प्रेस विज्ञप्ति 35/2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## यातायात प्रबन्धन एवं नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय में तीन दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

**श्री प्रशान्त कुमार** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशन में यातायात निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एवं Institute of Road Traffic Education तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से दिनांकः 19.03.2025 से 21.03.2025 तक यातायात कर्मियों तथा सड़क दुर्घटनाओं की विवेचना करने वाले विवेचकों हेतु 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला सम्पन्न हुआ।

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें मृतकों की संख्या में कमी लाये जाने एवं यातायात प्रबन्धन को और अधिक बेहतर करने के लिये यातायात पुलिस तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन सत्त प्रयासरत है।

प्रशिक्षण कार्यशाला में विगत 05 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें मृतकों की संख्या के आधार पर चिन्हित किये गये शीर्ष 20 जनपदों (लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, आगरा, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, बरेली, हरदोई, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, उन्नाव, सीतापुर, शाहजहॉपुर, बाराबंकी, फिरोजाबाद, कुशीनगर एवं आजमगढ़) में से प्रत्येक जनपद से 01 उपनिरीक्षक यातायात एवं 01 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, लोक निर्माण विभाग (पी0डब्लू0डी0) से 02, यूपीडा से 01, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से 02 एवं परिवहन विभाग से 05 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। (कुल संख्या 50 से अधिक)

**दिनांकः 19.03.2024** को प्रशिक्षण कार्यशाला में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित एजेन्सियों यथा परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, नगर विकास, यूपीडा, उपशा इत्यादि की सड़क दुर्घटना घटित होने पर भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारी, सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित कानून यथा मोटर वाहन अधिनियम–2019, सेन्ट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (सी0एम0वी0आर0) व भारतीय न्याय संहिता, दुर्घटनाओं के वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रहित करना, दुर्घटना स्थल की नक्शा मौका, सड़क दुर्घटना घटित होने की की स्थिति में

सड़क की स्थिति, दुर्घटनाग्रस्त वाहन व आसपास की फोटोग्राफी, राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया व उसकी उपयोगिता एवं विभिन्न देशों द्वारा प्रयोग किये जा रहे रोड साइनेजेज के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी साथ ही रोड इन्जीनियरिंग से सम्बन्धित समस्याओं यथा सिग्नलिंग/साइनेजेज का सही ढंग से न लगे होना, वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का पालन न करना (जेब्रा क्रासिंग का सिग्नल लाईट से आगे होना, ब्लैक स्पॉट, पशुओं का मार्गों पर आ जाना, पैदल यात्रियों का सिग्नल को अनदेखा कर सड़क को क्रास करना, रॉग साइड ड्राइविंग, नशे की हालत में वाहन चलाना, वाहन चलाने समय मोबाईल का उपयोग करना, ओवरस्पीडिंग करना, अपनी लेन में न चलना, वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाना) के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गयी।

**दिनॉकः 20.03.2025** को यातायात नियन्त्रण के साधनों जैसेः रोड साइन, रोड मार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल व इण्डियन रोड कांग्रेस की गाइड लाइन्स, सड़क दुर्घटना की विवचेना करने वाले विवेचकों को यातायात प्रबन्धन के साथ–साथ कानून व्यवस्था व सड़क दुर्घटनाओं की विवेचनाओं में आने वाली समस्याओं के बारे में केस स्टडी के माध्यम से विस्तृत जानकारी, मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन–2017 के सभी 42 नियमों का वर्णन एवं फोरेंसिंक साइंस के द्वारा साक्ष्य संकलन में प्रयोग होने वाले उपकरणों एवं संसाधनों एवं स्कूल के बच्चों को लाने व ले जाने वाले एवं अन्य वाहनों की फिटनेस की जॉच निर्धारित मानकों के अन्तर्गत किये जाने इत्यादि के बारे जानकारी/प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

**दिनॉक 21.03.2024** को यातायात नियन्त्रण में (वाहनों में लाल बत्ती, नीली बत्ती, हूटर/सायरन पार्टी झण्डे, हेलमेट सीटबेल्ट न पहनने, मोटर यान अधिनियम–1989 के नियम–100 के अन्तर्गत मोटर वाहनों में ब्लैक फिल्म लगी होने के कारण, व्हील क्लैम्प ब्रेथ एनालाइजर स्पीड रडार विद् प्रिन्टर/स्पीड राडार विद् प्रिन्टर एवं वीडियो कैमरा खतरनाक अन्धे मोड़ एवं दुर्घटना बाहुल्य स्थलो पर लगाये गये संकेतक बोर्डो के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गयी। पैदल यात्रियों का सिग्नल को अनदेखा कर सड़क को क्रास करना, रॉग साइड ड्राइविंग, नशे की हालत में वाहन चलाना, वाहन चलाने समय मोबाईल का उपयोग करना, ओवरस्पीडिंग करना, अपनी लेन मे न चलना, वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाना) के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गयी।

ROLE OF OFFICERS IN
TRAFFIC MANAGEMENT

## जनपद रामपुर/थाना स्वार

- **पुलिस कार्यवाही में 25—25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 20/21.03.2025 की रात्रि थाना स्वार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल हडपुरा को जाने वाले रास्ते पर तालाब के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—इरफान 2—सुलेमान घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद रामपुर से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना स्वार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1—इरफान निवासी ग्राम दुंदावाला नरपतनगर थाना स्वार जनपद रामपुर।

2—सुलेमान निवासी ग्राम दुदावाला नरपतनगर थाना स्वार जनपद रामपुर।

### बरामदगी

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

2—02 मोटर साइकिल आदि।

## जनपद इटावा/थाना जसवंतनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी/धोखाधड़ी के 26 हजार 700 रूपये नगद**
- **चोरी का 01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 20/21.03.2025 को थाना जसवंतनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सराय भूपत क्रासिंग के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–प्रभुदयाल उर्फ अजय घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–रवि सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी/धोखाधड़ी के 26 हजार 700 रूपये नगद, चोरी का 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त प्रभुदयाल उर्फ अजय के विरूद्ध जनपद इटावा, शाहजहाँपुर व कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग एवं अभियुक्त रवि के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जसवंतनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–प्रभुदयाल उर्फ अजय निवासी ग्राम पुरा चतुर्भुज थाना चित्राहाट कमिश्नरेट आगरा।

2–रवि निवासी ग्राम पुरा चतुर्भुज थाना चित्राहाट कमिश्नरेट आगरा।

**बरामदगी**

1–चोरी/धोखाधड़ी के 26 हजार 700 रूपये नगद।

2–चोरी का 01 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

**जनपद बलिया/थाना बैरिया**

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **425 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद**

दिनॉकः 21.03.2025 को थाना बैरिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मॉझी पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1–मंजीत 2–अमरजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 425 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अमरजीत कुमार के विरूद्ध जनपद बलिया के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बैरिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–मंजीत निवासी सिंहाचौर थाना गड़वार जनपद बलिया।

2–अमरजीत कुमार निवासी भवन टोला जयप्रकाशनगर थाना बैरिया जनपद बलिया।

**बरामदगी**

1–425 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन।

## जनपद रामपुर/थाना मिलक खानम

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 सेन्ट्रो कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 20/21.03.2025 की रात्रि थाना मिलक खानम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त फिरोज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 सेन्ट्रो कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानों पर सीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मिलक खानम पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–फिरोज निवासी चरक वाली मस्जिद घेर मर्दान खां थाना कोतवाली जनपद रामपुर।

**बरामदगी**

1–01 सेन्ट्रो कार।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

## जनपद गाजीपुर/थाना बिरनों

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मैजिक वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 21.03.2025 को थाना बिरनों व थाना मरदह की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मीरपुर नहर किनारे खाली जमीन के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त निजामुद्दीन अहमद उर्फ मप्पू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मैजिक मालवाहक वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बिरनों पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1–निजामुद्दीन अहमद उर्फ मप्पू निवासी ग्राम सरार उर्फ हैदरगंज थाना मरदह जनपद गाजीपुर।

### बरामदगी

1–01 मैजिक मालवाहक वाहन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना बहादुरगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–नसीर 2–अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना सरसावा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना सरसावा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शंकर को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/15(सी) एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आबिद को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना मल्लावां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना मल्लावां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त टीटू को 10 वर्ष के कठिन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

**एस0टीएफ0–विगत 08 वर्षो से फरार चल रहे जनपद प्रतापगढ़ से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त तवरेज गिरफ्तार।**

दिनांक 21–03–2025 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित रू0 50 हजार के पुरस्कार घोषित अभियुक्त तवरेज को जनपद प्रतापगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–**

तवरेज पुत्र सामुद अली निवासी रामपुर बन्तरी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़। (उम्र 34 वर्ष)

**गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–**

मझिगंवा पुल, क्षेत्रान्तर्गत थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़। दिनांक 21–03–2025 समय करीब 01:55 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वांछित एवं पुरस्कार घोषित सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री दिनेष कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, एस0टी0एफ फील्ड इकाई कानपुर के नेतृत्व में पुरस्कार घोषित फरार अपराधियो के सम्बन्ध में सूचना संकलन की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 श्री राहुल परमार के नेतृत्व में मु0आ0 पुष्पेन्द्र सिंह, मु0आ0 चन्द्र प्रकाश सिंह, मु0आ0 अरविन्द सिंह, देवेश द्विवेदी, आरक्षी सत्यम यादव चालक धर्मेन्द्र प्रताप की एक टीम जनपद प्रतापगढ़ में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना मिली कि थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित अपराधी तवरेज पिछले आठ वर्षों से लगातार फरार चल रहा है, जो किसी से मिलने के लिए मझिगंवा पुल, क्षेत्रान्तर्गत थाना मान्धाता के पास आने वाला है। प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त तवरेज ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष–2016 में उसने व उसके सालों (पत्नी के भाईयों) ने मिलकर आपसी झगड़े में गॉव के जमील अहमद की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये वह फरार हो गया था। फरार होकर वह मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, होशंगाबाद, नर्मदापुरम जनपद में वह ट्रक ड्राइवरी का काम करता रहा। आज अपने रिश्तेदार से मिलने के लिये यहॉ आया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः–**

1– मु0अ0सं0 113/15 धारा 147, 307, 323, 504, 506 भादवि थाना मान्धाता, प्रतापगढ़।

2– मु0अ0सं0 273/2016 धारा 147, 148, 149, 286, 302, 307, 323, 504, 506 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

3– मु0अ0सं0 157/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मान्धाता, प्रतापगढ़।

4– मु0अ0सं0 82/2017 धारा 174 ए भा0द0वि0, थाना मान्धाता, प्रतापगढ़।

5– मु0अ0सं0 334/2017 धारा 174ए भा0द0वि0, थाना मान्धाता, प्रतापगढ़।

6– मु0अ0सं0 389/2018 धारा 387, 506 भा0द0वि0 थाना मान्धाता, प्रतापगढ़।

अभियुक्त तवरेज को थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

**एस0टीएफ0–अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, 280 कि0ग्रा0 गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 80 लाख रूपये) बरामद।**

दिनांक 21–03–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय तस्कर को 280 कि0ग्रा0 गॉजा ट्रक सहित (अनुमानित मूल्य लगभग 70 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

भूपेन्द्र कुमार पुत्र शिव सिंह निवासी कांगडाघाट थाना कंडाघाट जनपद सोलन (हिमांचल प्रदेश)

**<u>बरामदगी</u> :–**

**1**– 280 कि0ग्रा0 गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 70 लाख रूपये)।

**2**– 01 अदद ट्रक नं0: एच0पी0–64बी–6043

**3**– 01 अदद मोबाइल फोन।

**4**– नकद 1450/–रूपये।

**<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>**

पूरब का पुरा, कस्बा मेहनाजपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़। दिनांक 21–03–2025

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/ टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में निरीक्षक श्री पुनीत परिहार एसटीएफ फील्ड इकाई, वाराणसी के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की गयी।

दिनांक 20/21 मार्च 2025 की रात्रि में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी की टीम जनपद आजमगढ में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमणशील थी। इसी दौरान विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ कि अवैध मादक पदार्थों की अन्तर्राज्यीय स्तर पर तस्करी करने वाला तस्कर आसाम से ट्रक नं0 एच0पी0 64बी–6043 में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) लोड करके मेहनाजपुर की तरफ आने वाला है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सम्पर्क करके उनको साथ लेकर पूरब का पुरा, कस्बा मेहनाजपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह ट्रक उसी का है। वह डिब्रूगढ (आसाम) से दिल्ली के लिए प्लास्टिक का दाना लोड किया था। जिसके उपरान्त गांजा

लोड करने तेजपुर (आसाम) गया था। वहॉ से उक्त ट्रक में प्लास्टिक के दानों के बीच में गांजा छिपा कर ला रहा था। वह जनपद आजमगढ के स्थानीय गांजा तस्करों एवं कथित प्रशान्त राय नाम के व्यक्ति से लगातार सम्पर्क में था। यह गांजा उसी प्रशान्त राय को देना था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ में मु0अ0सं0 27/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

————————